दिनांक 22 मई 2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

शहर में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने हैंडपंपों एवं पावरपंपों का किया जा रहा है संधारण

भिलाई नगर/ शहर में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप एवं पावर पंपों का संधारण किया जा रहा है! महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव तथा निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं ! इसी तारतम्य में जोन के अधिकारियों द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित हैंडपंप एवं पावर पंप का संधारण कार्य किया जा रहा है , ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे! इसी के साथ ही पीलिया से बचाव के उपाय अपनाए जा रहे हैं! हैंडपंप एवं पावर पंप का संधारण निगम क्षेत्र के हैंड पंप एवं पावर पंप का संधारण का कार्य जोन स्तर पर किया जा रहा है! हैंडपंप में प्रायः असेंबली से संबंधित दिक्कतें आती है जिस पर निगम के कर्मचारियों द्वारा हैंड पंप को टाइट करने का काम किया जाता है, जिससे पानी आसानी से ऊपर आ सके! पावर पंप में सामान्यतः पंप खराब होने की दिक्कत आती है जिसके लिए पंप को बदलना होता है या फिर साधारण मरम्मत करनी होती है इसका कार्य भी किया जा रहा है!

पीलिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पानी टैंकरों में किया गया रबर पेंट कुछ ऐसे स्थानों पर जहां पानी के स्रोत कम है वहां पर विभागीय टैंकर के माध्यम से जल प्रदाय किया जाता है ! शुद्ध पेयजल निगम क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए निगम के विभागीय पानी टैंकरों के भीतरी भाग को रबर पेंट के माध्यम से पेंट किया गया है! जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक सामग्रियों का किया जा रहा है भंडारण ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए शुद्ध पेयजल के लिए आवश्यक सामग्रियों के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है! जल शुद्धिकरण के लिए प्रायः एलम , चुना, ब्लीचिंग, क्लोरीन की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था आवश्यकता अनुसार की गई है!

हस्त पंप एवं पावर पंप की उपलब्धता प्रत्येक जोन क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के तहत हस्त पंप एवं पावर पंप स्थापित है! जोन क्रमांक एक में 435 हस्त पंप एवं 100 पावर पंप, जोन क्रमांक 2 में 428 हस्त पंप एवं 114 पावर पंप, जोन क्रमांक तीन में 401 हस्त पंप एवं 52 पावर पंप, जोन क्रमांक 4 में 490 हस्त पंप एवं 85 पावर पंप स्थापित है!

आयुक्त श्री रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में पीलिया को फैलने से रोकने के लिए जलकार्य विभाग के अधिकारियों को पाइप लाइन में लीकेज की मरम्मत कराने , डिसइन्फेक्शन के लिए निर्धारित मात्रा

में क्लोरीन आदि केमिकल का उपयोग करने , जल शोधन संयंत्र का संचालन सुचारु रुप से करने , नियमित रूप से वाटर सैंपल क्वालिटी टेस्टिंग करने, निगम भिलाई की सभी पानी टंकियों की सफाई कराने तथा अगली सफाई की तिथि पेंट से लिखने , वाल चेंबर आदि स्थानों पर पानी का भराव न होने देने और यदि लीकेज हो तो मरम्मत कराने, निगम क्षेत्र के बोरवेल के पानी की जांच कराने एवं पानी उपयोग हेतु उचित व्यवस्था नहीं होने पर बोर से असेंबली निकालकर बोर को वेल्डिंकेप से बंद करने, टैंकर से जल प्रदाय की स्थिति में टैंकर की अंदर से सफाई उपरांत रबर पेंट कराने , जल प्रदाय वाले टैंकर को डिसइन्फेक्शन कर निर्धारित मात्रा में क्लोरीन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं!